

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 543 / वाचक / 2026

जशपुर, दिनांक 07/05/2026

प्रति,

रा.प्र.क्र. / अ-62 / 2025-26

ग्राम जशपुर प.ह.नं. 07 तहसील-जशपुर

1. वन परिक्षेत्राधिकारी,
जशपुरनगर
2. राजस्व निरीक्षक,
रा.नि.मं.-आरा तहसील जशपुर

विषय :- Construction of 4-lane Pathalgaon-Kunkuri-CG/JH Border Section of NH-43 starting from end point Of NH-130A design Ch. 00+000 to Ch. 104+250 (From Turua Ama Village to Putrichoura village) as part of Raipur-Dhanbad Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna (Lot5/Pkg-7) in the State of Chhattisgarh (Total Length-104.25 Km) परियोजना में प्रभावित वृक्षों के विदोहन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) का पत्र क्र. 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024

—:00:—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचनाकर्ता/आवेदक परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) ने अपने पत्र क्रमांक 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम चराईडांड स्थित 116 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उक्ताशय के संबंध में संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र प्ररूप-घ में तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

व्याथालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) जशपुर, जिला-जशपुर (द०ग) पत्र क्रमांक 525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07/05/2026 के अध्याय सूचना क्रमांक 1/आवेदक परियोजना विदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर धाई-छेखा (द०ग) के अधिन पत्र क्रमांक 25012/4/पठ धाई-छेखा/वाचक-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्रास-चराईडांड स्थित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विरोध हेतु अनुमति के संबंध में संयुक्त जांच हेतु जापन प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में दिनांक 10/05/2026 को राजस्व निरीक्षण द्वारा सर्वे पत्र विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाति कृषकों एवं ग्रासवासियों की उपस्थिति में स्थल जांच किया गया जो कि निम्नानुसार है:-


क्रमांक	खतब	भूमि स्वामी का नाम	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष संख्या	वृक्ष की गोलाई (सेमी)	वृक्ष की अनुमानित ऊंचाई (मीटर में)
1.	271	डारिध, छेडाएलाथ पिला बामपेठु मित्रा	बराड	1	300	15
2.	272	लिविदान, मैनाम, इखड फि इगरु कोरह	बराड	2	320	18
3.	273/2	खैरत मैनाम फि सुलेमान	खाल	7	60	12
4.	273/3	सोयल ऊँच बामुरल पिला बलमोन	बराड	1	300	20
			गहुआ	1	100	12
			खाल	4	50	15
			चार	4	40	12
5.	274/1/3/2	जयजीनाम, सिधा राम फि जेठू	गहुआ	3	150	18
			चार	6	50	12
			खाल	10	55	15
			नाम	2	70	18
			ऊँज	2	40	10
6.	274/1/3/3	बलदेव पिला दमरी	खाल	20	60	12
			चार	6	40	12
			कुसुम	1	70	12
			नाम	1	70	12
			ऊँज	1	70	12
7.	279/1	जगमोहन, लालमोहन, तिरंज फि बामपेठु कोरह	ऊँज	4	80	12

8.	306/1।3	प्रमुदयाल फि पल2न, निर्गल पिला खनी	पीपल	1	200	15
9.	306/2	आंठि प्रकाश, सुनुपा रानी, अखणो, खात्री रानी आर्नड प्रकाश पिला निस्वार कौरह	गहुआ	1	200	12
10	425/1	हेलादिपुह फि लादिपुह कौरह	गहुआ	1	120	12
11.	425/2	हेरमन, मनोज फि सुलेमान	ऊरंज बेहरा बराड	1 1 1	50 150 290	20 15 18
12	440/1	गोहन फि अमराज कौरह	ऊरंज	2	40	8
13	444/1	अहर फि लुधु	बराड	1	120	15
14	556/4	फुसा फि जहर	आम ऊरंज ऊरहल	3 4 2	90 70 90	15 8 10
15.	560	लुधर, गोखर, आर्नड फि सुपेल, बोवाल फि मसी प्रकाश	ऊरंज	3	50	10
योग				96		


उपरिष्ठ गवाह
कुल्लुवा सिंघ
मोनीना
दशाच
मलिक

जिसो उ हस्ताकर
लेनाल सिंघ
प्रमद सिंघ
पारंगली सिंघ
शिवर राम

कोटवाल-निधीष


B.F.O.
Sakaridega


P. S. Singh
10/05/2026


P. S. Singh

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार:- द्वारिका मिश्रा, केदारनाथ मिश्रा
- (ख) सरपंच / पंच:- अशोक एक्का
- (ग) पटवारी / कोटवार:- संदीप भगत
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- कृष्णा सिंह, मेनोन


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1 / खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01
- (ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01
- (ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01
- (घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
- (ङ) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-मैनोन, लिबिदान

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, दशरथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-02

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-02

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-02

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-अमरमनी, अमन कुमार, नमन कुमार
- (ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का
- (ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या:-07
- (ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक..... नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-07
- (ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-07
- (घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
- (ङ) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-सोयल उर्फ सामुएल

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एकका

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-10

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-10

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-10

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-श्रीराम, सियाराम

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-23

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-23

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-23

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक /525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-बलदेव

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एकका

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-28

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-28

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-28

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-तिरंजन सिंह, लालमोहन सिंह
- (ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का
- (ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-04
- (ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक..... नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-04
- (ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-04
- (घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
- (ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-निर्मल, प्रभुदयाल
- (ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का
- (ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01
- (ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक..... नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01
- (ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01
- (घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
- (ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक /525/वाचक/20.6 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-शांति प्रकाश, आनंद प्रकाश, लेतारेन
- (ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का
- (ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, दशरथ, मेनोन


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01
- (ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक..... नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01
- (ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01
- (घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
- (ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक /525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-अशोक एक्का, नीलिमा एक्का

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, दशरथ, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग--जशपुर, जिला--जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-हेरमन, मनोज

(ख) सरपंच / पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी / कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, दशरथ, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1 / खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03

(ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-मोहन, सरोज मेज, आभारानी, निर्मला

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन, दशरथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-02

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-02


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-02

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-सहर

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, दशरथ, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....

नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-पुसा

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, मेनोन, दशरथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-09

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-09

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-09

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक /525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-बोवास, लुथर, गोसनर, आनंद

(ख) सरपंच/पंच:-अशोक एक्का

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-कृष्णा सिंह, दशरथ, मेनोन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नेहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(घ) नियम 2 की लागू कड़िका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)